न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 63/2018 जिला सीकर

1. रतन लाल पुत्र मूलचन्द जाति जाट
2. मुकेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद, जाति जाट
3. बिरजू सिंह पुत्र अडीसाल सिंह राजपूत
4. करण सिंह पुत्र भैंरू सिंह राजपूत
5. कृष्ण सिंह पुत्र भैंरू सिंह राजपूत
6. सादुल सिंह पुत्र अडीसाल सिंह राजपूत

समस्त निवासी सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।

अपीलान्टान

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर ।
2. प्रभू सिंह पुत्र खूबसिंह
3. अजीत सिंह पुत्र खूबसिंह
4. हरीसिंह पुत्र दीनसिंह
5. दरिया सिंह पुत्र दीनसिंह
6. सुमेर सिंह पुत्र दीनसिंह
7. गजराज सिंह पुत्र खूबसिंह
8. गेंद कंवर पत्नी खूबसिंह
9. पान कंवर पत्नी सलसिंह
10. किशोर सिंह पुत्रान सलसिंह
11. भागीरथ सिंह पुत्र सलसिंह
12. पूर्ण सिंह पुत्र सलसिंह
13. सवाई सिंह पुत्र सलसिंह
14. श्रवण सिंह पुत्र बीजाराम जाट
15. धर्मलाप सिंह पुत्र बीजाराम जाट
16. रामस्वरूप पुत्र बीजाराम जाट
17. गुलाब देवी पत्नी रामनारायण जाति जाट
18. रामकुंवार पुत्र मूलचन्द जाट
19. मोहर सिंह पुत्र मूलचन्द जाट
20. सोनिया पत्नी दयाराम जाट
21. दयाराम पुत्र जगदीश प्रसाद जाट
22. जगदीश प्रसाद पुत्र धीराराम जाट
23. किशन कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाट

समस्त निवासी सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्टान

प्रति
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर
दिनांक 3.10.2016

Scanned by CamScanner

उपस्थित–

1. वकील अपलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री राजवीर सिंह

निर्णय

दिनांक 16.4.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्डअधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.10.2016 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 6.11.2018 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि तहसीलदार नीमकाथाना , जिला सीकर ने रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण अभियान 2016 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि राजस्व ग्राम नयानगर से सिरोही सीमा तक खसरा नम्बर 453, 457, 451, 437 से होते हुये लगभग 380 मीटर डोटेड लाईन के रूप में कच्चा रास्ता दर्ज रिकार्ड है, जो लगभग 5–7 मीटर चौडा है । रास्ता मौके पर 5 मीटर चालू है । रास्ते पर मौके पर मोहरम रोडी की ग्रेवल सडक बनी हुई है । खसरा नम्बर 437 के बाद उक्त रास्ता खसरा नम्बर 408 तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 408 में लगभग 24 मीटर रास्ता दर्ज नहीं है , जिसे संलग्न नक्शे में डोटेड लाईन लाल स्याही से दर्शाया गया है तथा उसके बाद रास्ता दर्ज रिकार्ड है । इस रास्ते के खसरा नम्बर 437 से लम्बाई लगभग 750 मीटर है तथा चौडाई 4–6 मीटर है । उक्त सम्पूर्ण रास्ते पर ग्रेवल सडक बनी हुई हे, जो मौके पर चालू है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

ग्राम नयानगर के पश्चात् ग्राम सिरोही में उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, जो कि खातेदारी भूमि से होकर जाता है , जिसको नक्शे में डोटेड लाईन लाल स्याही से दर्शाया गया है । उक्त रास्ता ग्राम सिरोही में खसरा नम्बर 2258, 2301, 2281, 2298, 2283, 2296 से होते हुए गुजरता है , जो आगे चलकर सिरोही से भगेगा सडक पर मिलता है । वर्तमान में उक्त रास्ता चालू एवं रास्ता कच्चा है । उक्त रास्ते की लम्बाई लगभग 1820 मीटर एवं चौडाई लगभग 2.50 मीटर है । उक्त रास्ता मौके पर कच्चा है । राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू अभिलेखनियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार उक्त रास्ते के अंकन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत है ।

तहसीलदार नीमकाथाना के उक्त प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिंला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2016 द्वारा उक्त रास्ता वर्तमान में चालू होने, राजस्व रिकार्ड में कहीं पर कटा हुआ एवं कहीं पर नहीं कटा हुआ बताये जाने पर जनहित की भावना को देखते हुये रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण अभियान 2016 को मध्यनजर रखते हुये तथा तहसीलदार नीमकाथाना के प्रस्ताव अनुसार रास्ता संबंधी प्रार्थना पत्र

Scanned by CamScanner

/प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया गया कि उक्त प्रस्तावित रास्ते का नामांतरकरण दर्ज किया जाकर अंकन राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में किया जावे । रास्ते पर कहीं अतिक्रमण है तो उसे नियमानुसार हटाया जावे । निर्णय की प्रति के साथ रिपोर्ट मय नक्शा की प्रति संलग्न की जावे । डॉट डॉट लाईन की स्थाई लाईन से नक्शे में दर्शायी जावे । यदि रास्ता निजी खातेदारी भूमि में से जा रहा है तो गैर मुमकीन रास्ता भी निजी खातेदारी में दर्ज किया जावे । यदि राजकीय भूमि में रास्ता है तो राजकीय खातेदारी में रास्ता दर्ज किया जावे । निर्णय की पालना में आदेश जारी हो । आदेश के साथ रिपोर्ट मय नक्शा रास्ते में आने वाली भूमि की प्रमाणित प्रति संलग्न् की जावे ।

उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें वापिस भेजा जाकर मौके की वास्तविक स्थिति की जॉच प्रार्थियान की उपस्थिति में मोके के अनुसार दर्ज कर आज्ञा प्रदान करने के आदेश प्रदान किये जावे ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार ने मौके की जॉच किये बिना एवं अपीलान्ट्स को बिना नोटिस दिये विवादित भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने के प्रस्ताव उप खण्ड अधिकारी को भिजवा दिये तथा उप खण्ड अधिकारी ने भी अपीलान्ट्स को बिना नोटिस दिये व बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना तथा विवादित भूमि की मौके की जॉच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है । आराजी खसरा नं. 2258 में से केवल मात्र उत्तरी व पश्चिमी सीमा पर केवल 4 फिट का रास्ता है एवं खसरा नम्बर 2258 के पश्चिमी ओर व उत्तरी ओर की भूमि में से 4 फिट का रास्ता है । इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर की भूमि में से केवल 4 फिट का ही रास्ता है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे व मोका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट लिये बिना ही 2.50 मीटर का मौके पर विपरीत रास्ता कायम करने में विधिक त्रुटि की है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ व विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रकरण बाद जॉच पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय
जयपुर

Scanned by CamScanner

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि पटवारी हल्का गोविन्दपुरा , पटवारी हल्का सिरोही , पटवारी हल्का भगेगा एवं भू अभिलेख निरीक्षक सिरोही द्वारा ग्राम गोविन्दपुरा से होते हुए नयानगर से सिरोही की ओर जाने वाले रास्ते का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा उप खण्ड अधिकारी को प्रस्तुत की थी कि राजस्व ग्राम नयानगर से सिरोही सीमा तक खसरा नम्बर 453, 457, 451, 437 से होते हुये लगभग 380 मीटर डोटेड लाईन के रूप में कच्चा रास्ता दर्ज रिकार्ड है, जो लगभग 5–7 मीटर चौडा है । रास्ता मौके पर 5 मीटर चालू है । रास्ते पर मौके पर मोहरम रोडी की ग्रेवल सडक बनी हुई है । खसरा नम्बर 437 के बाद उक्त रास्ता खसरा नम्बर 408 तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 408 में लगभग 24 मीटर रास्ता दर्ज नहीं है , जिसे संलग्न नक्शे में डोटेड लाईन लाल स्याही से दर्शाया गया है तथा उसके बाद रास्ता दर्ज रिकार्ड है । इस रास्ते के खसरा नम्बर 437 से लम्बाई लगभग 750 मीटर है तथा चौडाई 4–6 मीटर है । उक्त सम्पूर्ण रास्ते पर ग्रेवल सडक बनी हुई है, जो मौके पर चालू है ।

ग्राम नयानगर के पश्चात् ग्राम सिरोही में उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, जो कि खातेदारी भूमि से होकर जाता है , जिसको नक्शे में डोटेड लाईन लाल स्याही से दर्शाया गया है । उक्त रास्ता ग्राम सिरोही में खसरा नम्बर 2258, 2301, 2281, 2298, 2283, 2296 से होते हुए गुजरता है, जो आगे चलकर सिरोही से भगेगा सडक पर मिलता है । वर्तमान में उक्त रास्ता चालू है रास्ता कच्चा है । उक्त रास्ते की लम्बाई लगभग 1820 मीटर एवं चौडाई लगभग 2.50 मीटर है । उक्त रास्ता मौके पर कच्चा है । तहसीलदार नीमकाथाना के उक्त प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2016 पारित कर रास्ता वर्तमान में चालू होने, राजस्व रिकार्ड में कहीं पर कटा हुआ एवं कहीं पर नहीं कटा हुआ बताये जाने पर जनहित की भावना को देखते हुये रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण अभियान 2016 को मध्यनजर रखते हुये तथा तहसीलदार नीमकाथाना के प्रस्ताव अनुसार रास्ता संबंधी प्रार्थना पत्र /प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया गया कि उक्त प्रस्तावित रास्ते का नामांतरकरण दर्ज किया जाकर अंकन राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में किया जावे । राजस्व अभिलेख में गैर मुककीन रास्ता अभिलिखित हो चुका है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश जनहित में पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में तहसीलदार नीमकाथाना के उक्त प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2016 द्वारा उक्त रास्ता वर्तमान में चालू होने, राजस्व रिकार्ड में कहीं पर कटा हुआ एवं कहीं पर

Scanned by CamScanner

नहीं कटा हुआ बताये जाने पर जनहित की भावना को देखते हुये रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण अभियान 2016 को मध्यनजर रखते हुये तथा तहसीलदार नीमकाथाना के प्रस्ताव अनुसार रास्ता संबंधी प्रार्थना पत्र /प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया गया कि उक्त प्रस्तावित रास्ते का नामांतरकरण दर्ज किया जाकर अंकन राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में किया जावे । रास्ते पर कहीं अतिक्रमण है तो उसे नियमानुसार हटाया जावे । निर्णय की प्रति के साथ रिपोर्ट मय नक्शा की प्रति संलग्न की जावे । डॅाट डॅाट लाईन की स्थाई लाईन से नक्शे में दर्शायी जावे । यदि रास्ता निजी खातेदारी भूमि में से जा रहा है तो गैर मुमकीन रास्ता भी निजी खातेदारी में दर्ज किया जावे । यदि राजकीय भूमि में रास्ता है तो राजकीय खातेदारी में रास्ता दर्ज किया जावे । निर्णय की पालना में आदेश जारी हो । आदेश के साथ रिपोर्ट मय नक्शा रास्ते में आने वाली भूमि की प्रमाणित प्रति संलग्न् की जावे ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में सर्वप्रथम प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । अपीलान्ट्स की मुख्य आपत्ति कि पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार ने मौके की जॅाच किये बिना एवं अपीलान्ट्स को बिना नोटिस दिये विवादित भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने के प्रस्ताव उप खण्ड अधिकारी को भिजवा दिये तथा उप खण्ड अधिकारी ने भी अपीलान्ट्स को बिना नोटिस दिये व बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना तथा विवादित भूमि की मौके की जॅाच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है एवं आराजी खसरा नं. 2258 में से केवल मात्र उत्तरी व पश्चिमी सीमा पर 4 फिट का रास्ता है एवं खसरा नम्बर 2258 के पश्चिमी ओर व उत्तरी ओर की भूमि में से 4 फिट का रास्ता है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे व मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट लिये बिना ही 2.50 मीटर का मौके के विपरीत रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट्स ग्राम सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 2258 रकबा 16.8200 के खातेदार होने से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है तथा प्रकरण प्राकृतिक न्याय के

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना , जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 3.10.2016 अपीलान्ट की ग्रम सिरोही स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2258 में से गैर मुमकीन रास्ते के लिये दर्ज की गई भूमि की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना , जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर

Scanned by CamScanner